भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 557

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2025

सार्वजनिक खरीद नीति

557. श्री ए. राजा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों द्वारा एमएसएमई इकाइयों से की गई कुल खरीद का ब्यौरा क्या है, जिसमें एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए संशोधन किए गए है;

(ख) क्या सरकार सार्वजनिक खरीद नीति पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न मंत्रालयों से व्यापक समर्थन प्राप्त हो और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई सक्रिय कार्रवाई शुरू की गई है और साथ ही एमएसएमई को विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए सभी विभागों को आवधिक तौर पर स्मरण कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई संबंध पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार, विगत 3 वर्षों के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के अनुसरण में की गई कुल खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	कुल खरीद (करोड़ रुपए में)	एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)	महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)
2022-23	1,74,316.30	64,721.65	1,546.91	2,318.99
2023-24	1,70,930.01	74,717.24	1,757.26	3,152.80
2024-25 (03-02-2025 तक)	1,47,896.65	60,752.34	1,893.31	3,230.86

(ख) और (ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद को और अधिक बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कई उपाय किए गये हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. एमएसएमई मंत्रालय ने 8 दिसंबर, 2017 को "एमएसएमई संबंध पोर्टल" की शुरुआत की थी। यह पोर्टल केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा की गई खरीद की निगरानी में सहायता प्रदान करता है और उन्हें एमएसई से आवश्यक उत्पादों/सेवाओं की सूची साझा करने में सक्षम बनाता है।

ii. एमएसएमई मंत्रालय, नीति के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीपीएसई के साथ बेहतर समन्वय के लिए लोक उद्यम विभाग के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है। एमएसएमई मंत्रालय आवश्यकतानुसार अथवा मांगे जाने पर एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर पत्रादि और स्पष्टीकरण भी जारी करता है।

iii. सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम), एक ऑनलाइन पोर्टल का मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा खरीद के लिए उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न मामलों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए जेम के साथ नियमित आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

iv. खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत वेंडर विकास कार्यक्रम, एक मंच के रूप में कार्य करते हैं, जहां एमएसई न केवल सीपीएसई के साथ बल्कि अन्य हितधारकों के साथ भी समन्वय स्थापित कर सकते हैं।

v. एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत, एक विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना शुरू की है, ताकि भावी उद्यमियों द्वारा नई उद्यमों की स्थापना की जा सके और सार्वजनिक खरीद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए मौजूदा एमएसई का क्षमता निर्माण किया जा सके। सभी अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई, जो विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, संस्थागत क्रेडिट के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब के एससीएलसीएसएस घटक के तहत 25 प्रतिशत सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

vi. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए विभागों/सीपीएसयू द्वारा विशेष वेंडर विकास कार्यक्रमों/क्रेता – विक्रेता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

*****